न्यायालय माननीय सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किल बेंच रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

R5458-II/16

शान्ती देवी पत्नी सनत कुमार शुक्ला उम्र– 60 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम– कोतरकला, (हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पूरब तरफ अस्पताल चौक के पास) तह0– गोपदबनास, थाना कोतवाली– सीधी, जिला– सीधी (म.प्र.) ———— पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मीना भसीन पत्नी स्व0 राजू उर्फ राजकुमार भसीन उम्र– 65 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम– करौंदिया उत्तर टोला, (अर्जुन नगर) , तह0– गोपदबनास, थाना कोतवाली– सीधी, जिला– सीधी (म.प्र.) ——— गैरपुनरीक्षणकर्ता

कार्यवाही बावत् सीमांकन एवं नक्शा तर्मीम अन्तर्गत धारा– 70/129 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

द्वितीय निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला– सीधी (म.प्र.) का प्रकरण क्रमांक– 231/ निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक– 31.08.2016

अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण के निम्न आधार हैं:–

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत इसलिये है कि पुनरीक्षणकर्ता ने दिनांक– 29.06.2015 को पक्षकारों के संयोजन एवं कुसंयोजन बावत् आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया था जिसका निराकरण माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया

शान्ती देवी

17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R5458-II/16 जिला–सीधी

शांती देवी/ मीना भसीन

(1)	(2)	(3)
5.8.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 231/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	